



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ, 1942 (श०)

संख्या-143 राँची, शुक्रवार,

19 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

02 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप (रा०सू०आ०)-2-2/2018-1126 (HRMS)-- माननीय सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा अपीलवाद सं०-2291/2015- मुख्तार अहमद बनाम जन सूचना पदाधिकारी सह स्थापना उपसमाहर्त्ता, पलामू के विरुद्ध आर०टी०आई० एक्ट की धारा-20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

माननीय सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-813, दिनांक 29.01.2018 द्वारा उपायुक्त, पलामू से दोषी जन सूचना पदाधिकारी-सह-उपसमाहर्त्ता, पलामू को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-213/स्था०, दिनांक-10.04.2018 द्वारा श्री उदय कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ ‘सीमित’ बैच, गृह जिला-गया “बिहार”), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध श्री मुख्तार अहमद, जीप चालक, कुजड़ा मुहल्ला, हीरा मस्जिद के निकट, वार्ड सं०-23, मेदिनीनगर को वांछित

सूचना उपलब्ध नहीं करवाने तथा माननीय आयोग द्वारा दिनांक 29.06.2016 को दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4776, दिनांक 28.06.2018 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्रांक-654(ii), दिनांक 30.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि दिनांक 11.05.2015 को श्री मुख्तार अहमत द्वारा जो सूचना की माँग की गई थी, वो पत्रांक-208, दिनांक 24.08.2015 द्वारा निबंधित डाक से उन्हें उपलब्ध करवा दी गई थी एवं आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 06.02.2016 के माध्यम से एक अन्य आवेदन समर्पित कर कुछ सूचनाएँ माँगी गई थी। दूसरे पत्र में उल्लिखित शेष सूचना से संबंधित संचिका खोजबीन के बाद भी उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित संचिका के गुमशुदगी का सन्हा उनके द्वारा संबंधित थाना में करवाया गया। दिनांक 29.05.2016 की सुनवाई में पारित आदेश का पालन नहीं करने एवं लापरवाही बरतने से संबंधित आरोप के संबंध में उनका द्वारा अंकित किया गया कि आयोग का यह आदेश ज्ञापक-15009, दिनांक 05.07.2016 को निर्गत किया गया है, जो उनके स्थानांतरण के उपरांत दिनांक 09.07.2016 को श्री बंका राम, तत्कालीन भूमि सुधार उप उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी जिला स्थापना उप उपसमाहर्ता को पदभार सौंपने के बाद कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः दिनांक 29.05.2016 को आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिये वे दोषी नहीं हैं।

श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4084, दिनांक 27.05.2019 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-562/स्था0, दिनांक 04.10.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा अपने पत्रांक-708, दिनांक 22.08.2015 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना आवेदक श्री मुख्तार अहमद को उपलब्ध करवा दी गई थी एवं कतिपय सूचना से संबंधित संचिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण संचिका के गुम होने संबंधी सन्हा स्थानीय थाना में दर्ज करवा दिया गया था तथा उपायुक्त, पलामू के कार्यालय आदेश सं0-424, दिनांक 09.07.2016 के आलोक में जिला स्थापना उप उपसमाहर्ता का प्रभार अपने परवर्ती पदाधिकारी को सौंप चुके थे। इसलिए अपीलवाद में अगली सुनवाई की तिथि 12.08.2016 एवं 21.03.2017 को उपस्थित न होने के लिए श्री सिन्हा दोषी प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः समीक्षोपरांत, श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ इस आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	UDAY KUMAR SINHA JHK/JAS/311	श्री उदय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
